

[Authorized English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**

**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 25th April, 2008

**No. G.S.R. 10/Const./Art. 309/2008.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group D) Service, namely :—

**PART-I — GENERAL**

1. These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group D) Service Rules, 2008. Short title.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, —

Definitions.

- (a) "Commissioner" means the Excise and Taxation Commissioner, Haryana ;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;
- (c) "Employment Exchange" means the Haryana Employment Department ;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "recognised educational institution/school/board" means, —
  - (i) any educational institution/school/board incorporated by law in India ; or
  - (ii) any other educational institution/school/board which is declared by the Government to be a recognized educational institution/school/board for purpose of these rules.

(f) "Service" means the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group D) Service.

## PART-II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and  
character of posts.

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,  
domicile and  
character of  
candidates  
appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is —

- (a) a citizen of India; or
- (b) a subject of Nepal; or
- (c) a subject of Bhutan; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the board, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his educational institution/school/board.

5. No person shall be appointed to the Service by direct recruitment who is less than sixteen years or more than forty years of age, on the last date of submission of applications to the Employment Exchange : Age.

Provided that in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and Backward Classes, the upper age limit shall be such as may be fixed by the Government from time to time.

6. Appointments to any post in the Service shall be made by the Commissioner. Appointing authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 2 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 3 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment : Qualifications.

Provided that in case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the appointing authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, Ex-servicemen and physically handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person, —

Disqualifications.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service :



Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of  
recruitment.

9. Recruitment to the Service shall be made, —

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government or Government of India.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that —

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, —

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service ; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of the members of Service shall be determined Seniority.  
by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of Merit determined by the Employment Exchange, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by transfer;
- (b) in the case of members appointed by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointment from which they were transferred; and
- (c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by their length of service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to service.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve as under,—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or University within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :



Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Pay, leave, pension  
and other matters.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Discipline,  
penalties and  
appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987 and the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Vaccination.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as, by law established.

Oath of  
allegiance.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Power of  
relaxation.

Special  
Provisions.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

## Reservation.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes Backward Classes, and Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard, from time to time :

Provided that total percentage of reservation so made shall not exceed fifty percent at any time.

Repeal and  
savings.

20. The Punjab State (Class IV) Service Rules, 1963, are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.



APPENDIX A

(See rule 3)

Designation of posts	Number of Posts			Scale of Pay
	Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5
Peon	11	46	57	Rs. 2550-55-2660-EB-60-3200.

**APPENDIX B***(See rule 7)*

Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3
Peon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimum 8th Pass.</li><li>2. Can read and write Hindi and English.</li><li>3. To carry official files and to do other office work.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. One year service in any Government Department.</li><li>2. Can read and write Hindi and English.</li><li>3. To carry official files and to do other office work.</li></ol>

APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5
Peon	Commissioner	<b>1. Minor Penalties:—</b> (i) Warning with a copy in the personal file (Character Roll) ; (ii) Censure; (iii) withholding of promotion ; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and	Commissioner	Government



1	2	3	4	5
		(v) withholding of increments of pay without cumulative effect ;	Commissioner	Government
		<b>2. Major Penalties:—</b>		
		(vi) withholding of increments with cumulative effect;		
		(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay; for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;		
		(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

was reduced, with or Commissioner Government  
without further  
directions regarding  
conditions of restoration to  
the grade or post or service  
from which the  
Government employee was  
reduced and his seniority  
and on such restoration to  
that grade, post or service ;

(ix) compulsory retirement ;

(x) removal from service  
which shall not be a  
~~disqualification for future~~  
employment under the  
Government;

(xi) dismissal from service  
which shall ordinarily be a  
disqualification for future  
employment under the  
Government.

## APPENDIX D

*[See rule 14 (2)]*

Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority
1	2	3	4
Peon	(i) reducing or withholding the amount of ordinary-additional pension admissible under the rules governing pension ; and  (ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Commissioner	Government

RAMENDRA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana, Excise and Taxation Department.



**भाग-III**

**हरियाणा सरकार**

**आबकारी तथा कराधान विभाग**

**अधिसूचना**

दिनांक 25 अप्रैल, 2008

संख्या सांका०नि० 10/संवि०/अनु० 309/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**भाग-I—जामाना**

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप घ) सेवा नियम, 2008, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) “आयुक्त” से अभिप्राय है, आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा ;

(ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) “रोजगार कार्यालय” से अभिप्राय है, हरियाणा रोजगार विभाग ;

(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) “मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था/स्कूल/बोर्ड” से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई शैक्षणिक संस्था/स्कूल/बोर्ड ; या

(ii) कोई अन्य शैक्षणिक संस्था/स्कूल/बोर्ड जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/स्कूल/बोर्ड घोषित किए गए हों ;

(च) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-घ) सेवा ;

**भाग-II—सेवा में भर्ती**

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :

पदों की संख्या  
तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या

विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त  
उम्मीदवारों की  
राष्ट्रीयता, अधिवास  
तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा; या

(ग) भूटान की प्रजा; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संगुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टोंगानीका और जंजीबार) जंबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रचरण (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा वा साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हो और जो उस के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो रोजगार कार्यालय को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 16 वर्ष की आयु से कम या चालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की दशा में अधिकतम आयु सीमा ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां आयुक्त द्वारा की जायेंगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 3 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

अर्हताएं।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में नियुक्ति प्राधिकरण के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

निरहताएं।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी—

भर्ती का ढंग।

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारियों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर रहेगा :

परीक्षा।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर



नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परीक्षा की अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या  
(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी :—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है ; या  
(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्टि कर सकता है ; या  
(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो,—

- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करें ; या

- (ii) उसकी परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पास कर सकता है जो वह परीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता निर्धारित करते समय रोजगार कार्यालय द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी जिनसे वे स्थानान्तरित किए गए थे; और

(ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था; और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा। सेवा करने का दायित्व।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है :—

- (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के

पास है; हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास है; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न अथवा कोई गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाए जाएं।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप-नियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ), के अधीन आदेश पास करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवाएगा तथा जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।



18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है। विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी। आरक्षण।

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

20. पंजाब राज्य (श्रेणी IV) सेवा नियम, 1963, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

## परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5
सेवादार	11	46	57	2550-55-2660-दक्षतारोघ-60-3200/- रुपये।

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3
सेवादार	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कम से कम आठवीं पास।</li> <li>2. हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ लिख सकता हो।</li> <li>3. सरकारी फाईलें ले जाना तथा अन्य कार्यालय काम करना।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अन्य सरकारी विभाग में एक वर्ष की सेवा।</li> <li>2. हिन्दी तथा अंग्रेजी पढ़ लिख सकता हो।</li> <li>3. सरकारी फाईलें ले जाना तथा अन्य कार्यालय काम करना।</li> </ol>



## परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

पदनाम	नियुक्ति अधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए संशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
सेवादार	आबकारी तथा कराधान आयुक्त	<b>1. छोटी शास्तियां:—</b> (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) उपेक्षा या आदेशों की उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली ; और (v) वेतन वृद्धियां रोकना;	आयुक्त	सरकार
		<b>2. बड़ी शास्तियां:—</b> (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निरन्तर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित, कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ; (vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के		

1	2	3	4	5
		उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिसमें वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;	आयुक्त	सरकार
		(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;		
		(ix) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;		
		(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		

## परिशिष्ट घ

[[देखिए नियम 14 (2)]]

पद का नाम	आदेशों का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4
सेवादार	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के किसी सदस्य की अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	आयुक्त	सरकार

रामेन्द्र जाखू,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग।